1/105/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0– 03–18
कमांक– 105/2018
आरबीई सं0–65/2018
सं0 ई/283/भाग–III/चार

दिनाँक 29-06–2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–कर्मचारियों को पारस्परिक स्थानान्तरण आधार पर कार्यमुक्त करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)I–2017/टीआर/24 दिनांक 09.05.2018 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0के0पाण्डेय)
सकावि/मुख्या0–II
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

D/MPP

R-196

आरबीई सं. 65/2018

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2017/टीआर/24 नई दिल्ली, दिनांक 09.05.2018

महाप्रबंधक(पी),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(मानक सूची अनुसार)।

विषय: कर्मचारियों को पारस्परिक स्थानांतरण आधार पर कार्य मुक्त करना।

बोर्ड के दिनांक 15.09.2017 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 130/2017) के तहत अनुदेश जारी किए गए थे, जिसमें क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्रतीक्षा कर रहे उन कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने के लिए कहा गया था, जिनके आवेदन रेलवे/उत्पादन इकाइयों दोनों द्वारा स्वीकृत किए गए थे। तत्पश्चात, बोर्ड के दिनांक 22.09.2017 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 131/2017) के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया और उसमें शामिल प्रत्येक चरण की समय-सीमा को विनियमित किया गया था।

2. बोर्ड के दिनांक 30.04.2014 के पत्र सं. ईआरपी/पोर्टल-ट्रांसफर/2013 में निहित अनुदेशों, जिसमें यह अनुबंधित था कि पारस्परिक स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद वरिष्ठ व्यक्ति को पहले कार्य-मुक्त किया जाना चाहिए, में आंशिक आशोधन करते हुए सीआरबी द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि पारस्परिक स्थानांतरण के उन सभी मामलों, जहां रेलों/इकाइयों दोनों द्वारा स्वीकृति और कार्य मुक्त के संबंध में एनओसी दी गई हो, **दोनों यूनिटों द्वारा रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना ही दोनों कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त कर दिया जाना चाहिए।**

3. कर्मचारी को सेवा अभिलेख और अविधिक्षित एलपीसी की प्रतिलिपि नए मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए दे दी जानी चाहिए। मूल सेवा अभिलेख/एलपीसी भी 15 दिनों के भीतर निश्चित रूप से भिजवा दिए जाने चाहिए।

कृपया पावती दें।

(एम.के.मीना)
उप निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड